UPAG010108052025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–5067/2025

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

1. हरीबाबू पुत्र रामप्रसाद उम्र लगभग 26 वर्ष

2. लखमीचन्द्र पुत्र रामप्रसाद उम्र लगभग 29 वर्ष

3. श्रीप्रकाश पुत्र रामप्रसाद उम्र लगभग 27 वर्ष

निवासीगण– ग्राम पुरा दुर्जी थाना–डौकी, जिला आगरा

..... अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 27/2025
धाराः 115(2), 352, 110, 118(1)
भारतीय न्याय संहिता
थानाः डौकी जिला आगरा।

दिनांकः 04.10.2025

पुलिस थाना डौकी, जिला आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 110, 118(1) भारतीय न्याय संहिता में वांछित आवेदकगण/अभियुक्तगण हरीबाबू, लखमीचन्द्र तथा श्रीप्रकाश की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उन्हें झूँठा फंसाया गया है। प्रकरण में प्रारंभ में एन0सी0आर0 दर्ज हुई थी, परन्तु बाद में चिकित्सक के साथ सांठगांठ कर मेडिकल बनवाकर यह केस लगवा दिया गया है। प्रकरण में सह अभियुक्त रामप्रसाद की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण को गिरफ्तारी का भय है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी श्रीमती कमलेश द्वारा थाना डौकी, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह अपने खेत पर कूड़ा डालने गयी थी, अभियुक्तगण उसे गाली गलौज देने लगे तथा मारपीट करने लगे। उसका देवर बचाने आया तो उसे भी मारने लगा। हरीबाबू, लक्ष्मी, श्रीप्रकाश एवं रामप्रसाद द्वारा उनके साथ गाली गलौज एवं मारपीट की गयी।

वादिनी की तहरीर पर थाना डौकी, आगरा पर एन0सी0आर0 संख्या 04/2025 पंजीकृत की गयी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में प्रकरण की अग्रेतर विवेचना की गयी एवं विवेचना के उपरान्त आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध धारा 115(2), 352, 110, 118(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी), आगरा एवं वादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) आगरा के तर्क सुनें तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

सम्बन्धित दण्डवाद की पत्रावली उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्त द्वारा वादिनी एवं उसके परिजनों को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी दिया जाना आक्षेपित है।

पत्रावली पर उपलब्ध चुटैल काशीराम की उपहति आख्या के अनुसार उसके शरीर पर चार चोटें पाई गयीं, जिनको निगरानी में रखा गया तथा चोट संख्या–01, जो उसके सिर पर पाई गयी है, को धारदार हथियार से आने का निष्कर्ष दिया गया है।

चुटैल काशीराम की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं चिकित्सक डा0 प्रमोद कुमार के बयान के अनुसार चुटैल के सिर में बांई ओर इन्ट्राक्रानियल हेमाटोमा पाये जाने पर उक्त चोट को गंभीर एवं प्राणघातक प्रकृति की होने का निष्कर्ष दिया गया है। तत्सम्बन्ध में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि चुटैल काशीराम की उक्त गंभीर प्रकृति की चोटों के उपचार हेतु उसके अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

तत्सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार चुटैल काशीराम द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में यद्यपि आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उसके द्वारा अपने बयान में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने का कोई कथन नहीं किया गया है, न ही पत्रावली पर उपचार से सम्बन्धित कोई प्रपत्र उपलब्ध हैं।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्त पर धारा 41क दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस तामील किया गया एवं विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था–*सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य–2022 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी.825 में* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के दृष्टिगत आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण हरीबाबू, लखमीचन्द्र तथा श्रीप्रकाश का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें प्रस्तुत मामले में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण **हरीबाबू, लखमीचन्द्र तथा श्रीप्रकाश** को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक सम्बन्धित न्यायालय में **मु0 40,000 रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण निम्न शर्तों का अनुपालन करेंगे :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,आगरा
04.10.2025

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2025.10.04 17:17:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court